दिनांक 11-6-2018

पत्रावली नियत कार्यक्रम अनुसार वाद्य लोक अदालत आयोजन स्थान जौनपुर हेतु पेश हुई। पक्षकारो को लोक अदालत के जारी नोटिस वादी तामील प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल है। प्रार्थी व अप्रार्थी वाद हेतु नोटिस तामील के अनुपालन। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी ने इस न्यायालय द्वारा दायर प्रकरण (धारा) अन्तर्गत अण्डर सेक्शन धारा 25(A) दायर की है दिनांक 22-5-2017 को पारित आदेश को रिव्यू किये जाने बाबत इस पुनः वि० 2005 धारा संशोधित 0-47 का पेश किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि निरीक्षक द्वय अभिलेख बेसाइट दिनांक 5-4-2017 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर नहीं किया गया। इसके साथ ही रिव्यू प्रार्थना पत्र के विरुद्ध संख्या (4) में निरीक्षक द्वय अभिलेख बेसाइट की रिपोर्ट दि 5-4-2017 को अस्पष्ट व अपूर्ण बताया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने रिव्यू प्रार्थना में दो-दो अलग-अलग

Scanned by CamScanner

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

विरोधाभासी अनुरोध व्यक्त करते हुये व्यवहार द्वारा दि० 22-5-2017 को पारित आदेश को रिव्यू किये जाने की मांग की गई है। जिन दोनो विरोधाभासी आधारो के आधार पर व्यवहार द्वारा दि० 22-5-2017 को पारित आदेश की पुनर्विलोकन की मांग अनुसार पारित आदेश में दखल दिया जाना विधि सम्मत नही है। धारा 114 में विधि के प्रावधानो अनुसार किसी निर्णय को रिव्यू के द्वारा उलट नही जा सकता। इस प्रकार रिव्यू या पुनः में स्पष्ट आधार बिना के किसी प्रकार की कार्यवाही अर्थात पुर्व पारित आदेश में दखल दिया जाना विधि सम्मत नही है। याचिका अस्वीकार किया जाता है। याची अपना अनुरोध उचित व्यवहार से प्राप्त कर सकता है। मिसल मिसल हुजार होकर नंबर से कमरे को।

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner